

अनवान

1. डालीबाई पुत्री भुरा पत्नि धर्मचन्द माली
2. नारायणलाल पिता धर्मचन्द माली
3. भगवतीलाल पिता धर्मचन्द माली  
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लादुलाल पिता मांगीलाल माली
2. प्रभुलाल पिता मांगीलाल माली
3. बंशीलाल पिता मांगीलाल माली
4. कमला पुत्री मांगीलाल माली
5. भोलीदेवी पत्नि मांगीलाल माली  
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. मांगु पिता भुरा रावत
7. खेमा पिता भुरा रावत
8. भैरा पिता भुरा रावत
9. डाली पुत्री भुरा रावत
10. मोहनी पुत्री भुरा रावत
11. बदाम पुत्री भुरा रावत
12. कैलाश पिता जालु भील
13. पारसमल पिता जालु भील
14. चांदी बेवा जालु भील
15. बदामी पुत्री जगरूप भील
16. डालु पिता बरदा बलाई
17. रामेश्वर पिता बरदा बलाई
18. सोहन पिता नाराण बलाई
19. हजारी पिता नाराण बलाई
20. देऊ पुत्री शंकर बलाई
21. मदनलाल पिता शंकर बलाई
22. रतनी बेवा नाराण बलाई
23. सुगना बेवा सवाईराम माली
24. लक्ष्मण पिता सवाईराम माली
25. भंवरलाल पिता अमरचन्द भील
26. नारायण पिता अमरचन्द भील
27. रोशनलाल पिता नंगजीराम भील
28. सुन्दर पिता नगजीराम भील
29. कैलाश पिता नगजीराम भील ना0बा0ब0वि0 संरक्षक भाई रोशनलाल
30. शोभालाल पिता प्रताप भील
31. सोवनी पुत्री प्रताप भील
32. मांगी पुत्री प्रताप भील
33. कैलाशदेवी पुत्री गोविन्दराम ब्राह्मण
34. जगदीश पिता गोविन्दराम ब्राह्मण
35. राधेश्याम पिता गोविन्दराम ब्राह्मण
36. सुरेश पिता गोविन्दराम ब्राह्मण
37. गीताबाई पत्नि गोविन्दराम ब्राह्मण  
सर्व निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

क्रमशः...02

उपखण्ड अधिकारी  
जिला भीलवाड़ा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 02/09/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1768 रकबा 1.01 हे0 1769 रकबा 0.23 हे0 1770 रकबा 1.41 हे0 1771 रकबा 0.06 हे0 1772 रकबा 0.24 हे0 1773 रकबा 0.49 हे0 भूमि कुल किता 06 रकबा 3.45 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 100 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 21 एवं 23 लगायत 37 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 22 से प्रार्थी किसी प्रकार की दाद नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1768 रकबा 1.01 हे0 1769 रकबा 0.23 हे0 1770 रकबा 1.41 हे0 1771 रकबा 0.06 हे0 1772 रकबा 0.24 हे0 1773 रकबा 0.49 हे0 भूमि कुल किता 06 रकबा 3.45 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 2,000- (दौ हजार रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 2,000- (दौ हजार रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सी0एल0शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर(भीलवाड़ा)